



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062025-263730  
CG-DL-E-11062025-263730

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2025/ज्येष्ठ 21, 1947

No. 337]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2025/JYAISTHA 21, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2025

सा.का.नि. 380(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उप धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, उप निरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती नियम 2013 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, उप निरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, उप निरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती नियम 2013 की अनुसूची के स्तंभ 7 में, मद संख्या II के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"III. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में, उप निरीक्षक (कार्यपालक) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक व चिकित्सा मानक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई स्कीम के अनुसार लागू होंगे।

[फा. सं. ई-32012/01/2022/स्था.।]

पी. एस. डंगवाल, उप सचिव

**टिप्पण**—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 783 (अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा. का. नि. 512(अ), तारीख 24 मई, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2025

**G.S.R. 380(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Industrial Security Force, Security Wing, Sub-Inspector (Executive) Recruitment Rules, 2013, namely :-

1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force, Security Wing, Sub-Inspector (Executive) Recruitment (Amendment) Rules, 2025.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Industrial Security Force, Security Wing, Sub-Inspector (Executive) Recruitment Rules, 2013, in the Schedule, in column 7, after item II, the following item shall be inserted, namely :-

“III. Physical and medical standard for recruitment to the post of Sub-Inspector (Executive), in the Central Industrial Security Force shall be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time.”.

[F. No. E-32012/01/2022/Estt.I]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy.

**Note .-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 783(E), dated the 18th December, 2013; and lastly amended, *vide* G.S.R. 512(E), dated the 24th May, 2017.